



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,  
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,  
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.  
टेली/Tel: 022-28294756, 28294799 फैक्स/Fax: 28291754,  
E-mail : [dcseepz-mah@nic.in](mailto:dcseepz-mah@nic.in), Web-site : [www.seepz.gov.org](http://www.seepz.gov.org)



फा.सं.सीपज़-सेज/सुरक्षा/अनुमति पत्र/07/2019/भाग-2/03915

दि. 25-02-2020

परिपत्र सं.- 04/2020

विषय :- दो पहिया / चार पहिया वैध पास धारक वाहन / कर्मचारियों को गेट संख्या - 2 से सुबह 7.30 बजे से शाम 4.00 बजे तक प्रवेश / निकास की अनुमति ।

इस कार्यालय के परिपत्र सं. 316 दिनांक 25.11.2019 के क्रम में सीपज़ में स्थित सभी यूनिट एवं उनसे संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि सीपज़ के बाजू में मेट्रो निर्माण का काम शुरु होने से सीपज़-सेज के सभी युनिट / कर्मचारियों को दो पहिया / चार पहिया वाहन से प्रवेश / निकास करने में होने वाली असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सभी दो पहिया / चार पहिया वैध पास धारक वाहन / कर्मचारियों को गेट संख्या- 2 से समय सुबह 7.30 बजे से शाम 4.00 बजे तक और डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट के वाहनों को रात्रि 10 बजे तक प्रवेश / निकास की अनुमति अगले छह: माह दिनांक 25.08.2020 तक के लिए एतद् द्वारा बढ़ाई जाती है।

( हरिश चौधरी )

सुरक्षा अधिकारी

सीपज़-सेज

प्रति:-

1. सभी यूनिट एवं जनोपयोगी सेवाएं, सीपज़-सेज
2. सुरक्षा अनुभाग,
3. आईटी अनुभाग, सीपज़-सेज कृपया वेबसाइट पर अपलोड करे।
4. आउटलुक